

पावती सहित पंजीकृत डाक द्वारा



समयबद्ध/सूचना का अधिकार मामला

भारत सरकार

विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली

संख्या: सी/551/5/2015-जेपी

दिनांक 22 मई, 2015

श्री हेमंत ढगे

अध्यक्ष – लोककार्य एवं लोक क्रांतिदल,

महाराष्ट्र राज्य, शितला देवी चौक, तोफखाना,

अहमदनगर (महाराष्ट्र) - 414001

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत, श्री हेमंत ढगे द्वारा मांगी गई सूचना के संबंध में।

महोदय,

आपके आवेदन क्रम सं. 892/2015 दिनांक 17.04.2015 के संबंध में आपको सूचित किया जाता है कि चाही गई जानकारी विदेश मंत्रालय की वेबसाइट www.mea.gov.in से प्राप्त कर सकते हैं।

2. यदि आप इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप इस पत्र की प्राप्ति की तिथि से एक माह के भीतर श्री सुजीत घोष, निदेशक (ईए) एवं अपीलीय प्राधिकारी, कमरा संख्या 181-बी, साउथ ब्लॉक, विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली के पास अपील दायर कर सकते हैं।

भवदीय,

संदीप कुमार बय्यापु
(बय्यापु संदीप कुमार)

अवर सचिव (ईए)/केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी

प्रतिलिपि प्रेषित:-

श्रीमती मीरा सिसौदिया, अवर सचिव (आरटीआई)

23/04/15

संयुक्त लेटर - ए
(केन्द्रीय सुचना का अधिकार सल ३ देखिए) ग
केन्द्रीय सुचना का अधिकारी कानून - २००५ के अनुसार आवेदन)

B92/15

सेवामे,
सुचना अधिकारी का नाम और पता - Nodle CPIO

विदेश मंत्रालय

भारत सरकार, नई दिल्ली.

सुचना मांगनेवाले का पुरा नाम एवं पता :- हेमंत ढगे, अध्यक्ष - लोककार्य एवं लोक कान्तीदल
महाराष्ट्र राज्य, शितला देवी चौक, तोफखाना,
अहमदनगर (महाराष्ट्र) - ४१४००१

जो जानकारी चाहिए उसका पुरा कथन (तपशिल) -

१) सुचना तथा जानकारी संबंधी विषय

- १) जुलाई २०१४ से लेकर मार्च २०१५ तक जो भी नागरीकोंके, विविध राजनिती नेताओं के, सांसद आदियोंके Letter, अर्जी जो आपके मंत्रालय के माननीय केन्द्रीय मंत्री और राज्यमंत्री महोदय को प्राप्त हुवे है उनकी प्रतिलिपीया तथा उन अभ्यावेदनोको माननीय केन्द्रीय मंत्री, राज्यमंत्रीने तथा उनके PS, APS, OSD आदियोंने इस बारेमें जो पत्राचार किया है उसकी सभी प्रतिलिपीया मिलने के बारेमें।
- २) जुलाई २०१४ से लेकर मार्च २०१५ तक आपके मंत्रालय के माननीय केन्द्रीय मंत्री, केन्द्रीय राज्यमंत्री महोदयने आपके मंत्रालय सम्बंधी जो भी निर्णय लिये है उन सभी के लिये गए निर्णयोंकी File एवं उस बारेमें होने वाले टिपण्णी की हमे पहले देखने को मिलने के बारेमें तथा जरुरत पडे तो उसकी प्रतिलिपीया मिलने के बारेमें।
- ३) आपके मंत्रालय के माननीय केन्द्रीय मंत्री, केन्द्रीय राज्य मंत्री द्वारा जुलाई २०१४ से लेकर मार्च २०१५ तक उनके कार्यालय, के तथा आवास पर जितना भी खर्च हुवा है उसकी सुचना मिलने के बारेमें। तथा मंत्री महोदय इस कार्यकाल मे परदेश मे गए होंगे तो उन्होंने जहाँ जहाँ दौरा किया है उसकी सुचना सम्बंधीत प्रतिलिपीया के साथ एवं इस के लिए जो खर्चा किया गया है उसकी पूरी सुचना तथा किस कारन परदेश दौरा किया गया इसकी सम्बंधीत पत्र ह के प्रतिलिपीया के साथ दौरा किये जाने के बाद या दौरा करते समय क्या output हो गया इसकी सुचना मिलने के बारेमें।

- २) जानकारी संबंधी होनेवाला समय - साल २०१३-१४ और साल २०१४-१५ तक
- ३) जो जानकारी चाहिए उसका पुरा वर्णन - क्रमांक १ मे बताए गये नुसार।
- ४) अवश्य जानकारी खुद या पोस्ट से चाहिए - सुचना पोस्ट से चाहिए।
उसका पुरा तपशिल
- ५) सुचना या जानकारी किस टाईप के पोस्टसे चाहिए- किसी भी प्रकार के पोस्ट से।
- ६) आवेदन कर्ता आर्थिक स्तरपर पिछडे स्तर का है या नहीं? - जी हा, इसके साथ मे बी.पी.एल.राशनकार्ड प्रमाणपत्र प्रतिलिपी (Self Attested के साथ) दर्ज कि है इसलिए RTI के कानून के नुसार सुचना शुल्क एवं फी जरुरी नहीं है।

Input from
- EMO
- MAS
- USL
- An. An. 11
- 13/04/2015
- 17/4
- 20/4/15

(आवेदन कर्ता - Hemant Dhage)
09271444657

